न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/7532

दिनांक – 27/12/23

प्रार्थी

1 नानगाराम पुत्र जयरामाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चुतराराम पुत्र बनाराम 2 नारणाराम पुत्र जयरामाराम 3 भेराराम पुत्र धूड़ाराम 4 सोनाराम पुत्र हेमाराम 5 जेतीदेवी पत्नी ठाकराराम 6 हड़ुमानराम 7 जोगाराम 8 लिछुराम पिसरान ठाकराराम जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर 17 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 418/2023

दिनांक– 27/10/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा अणदे का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 703/656 रकबा 3.4398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 754/650 रकबा 0.7122 हैक्टेयर व खसरा संख्या 755/527 रकबा 0.2833 हैक्टेयर कुल रकबा 4.4353 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2023/7533-36

दिनांक– 27/12/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नानगाराम पुत्र जयरामाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी चुतराराम पुत्र बनाराम वगैराह जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर